संख्या-77/2016/1487/सैंतीस-2-2016-1(36)/15टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
बादशाहबाग, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-16 जून, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (रा.यो.) योजनान्तर्गत अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र रहमानखेड़ा (लखनऊ) के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-364(4)/यू.पी.एल.डी.बी./ए.इ.एस./निर्माणःडी.एफ.एस.-रह./2016-17, दिनांक-09.06.2016 के साथ संलग्न आगणन को एतद्द्वारा प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र रहमानखेड़ा (लखनऊ) के सुदृढ़ीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये रू0-245.37 लाख के आगणन के परीक्षणोपरान्त प्रायोजना की लागत रू0-229.04 लाख आंकलित की गयी है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (रा.यो.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-114.52 लाख (रूपये एक करोड़ चौदह लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का आहरण/व्यय आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगाः-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु 'यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0' कार्यदायी संस्था होगी।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
3. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जाय।
6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
10. प्रश्नगत धनराशि के आहरण/व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 के सुसंगत प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-07-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>प्र0सं0-77/2016/1487(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे स्वीकृत धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध करायें।
3. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in